संपत्तिकर के लिए चेक से टैक्स पटाने वाले अपने खातों में रखें पर्याप्त राशि, चेक बाउंस हो जाने पर निगम कराएगा एफआईआर

भिलाई नगर/ नगर पालिक निगम भिलाई में चेक के माध्यम से टैक्स देने वाले करदाता कृपया अपने खातों में टैक्स के लिए की जाने वाली अदा राशि के संबंध में पर्याप्त राशि अपने अकाउंट में सुरक्षित रखें ताकि जो चेक करदाता द्वारा दिया गया है उससे कर आहरित करने पर चेक बाउंस की स्थिति निर्मित न हो। चेक बाउंस होने की दशा में निगम एफआईआर भी कराएगा। भिलाई निगम के पास ऐसे कई मामले संज्ञान में आए हैं जिनमें चेक बाउंस होने की शिकायतें मिल रही है। इसे लेकर निगम प्रशासन सतर्क हो गया है तथा इन मामलों में एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई हो सकती है। चेक बाउंस की बात करे तो जोन क्रमांक 1 छेत्र अंतर्गत लगभग 12 मामले की जानकारी मिल रही, इसी प्रकार वैशाली नगर जोन क्षेत्र तथा मदर टैरेसा नगर जोन क्षेत्र, खुर्सीपार जोन क्षेत्र आदि से चेक के माध्यम से टैक्स देने वाले करदाताओं के चेक बाउंस होने, खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने तथा चेक में हस्ताक्षर विभिन्न होने के लगभग 56 मामले सामने आए हैं। निगम ने इन मामलों को गंभीरता से लिया है, शीघ्र ही इस पर एक्शन लिया जा सकता है। भिलाई निगम की करदाताओं से अपील है कि चेक देने वाले करदाता कृपया अपने खातों में पर्याप्त राशि रखें जिसके माध्यम से कर का भुगतान हो सके, टैक्स जमा करने वालों के लिए अच्छी खबर, यूपीआई सिस्टम चालू शासन द्वारा टैक्स जमा करने की अवधि बढ़ाने के बाद वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 30 अप्रैल तक टैक्स जमा करने में कोई भी अधिभार देने की आवश्यकता नहीं होगी। इधर निगम में टैक्स जमा करने वालों के लिए सुखद खबर है। अब टैक्स जमा करने आने वाले लोगों को यूपीआई सिस्टम की व्यवस्था मिलेगी। यूपीआई सिस्टम के माध्यम से फोन पे, गूगल पे, पेटीएम आदि के माध्यम से करों का भुगतान किया जा सकेगा। निगम के मुख्य कार्यालय सहित सभी जोन कार्यालयों में यूपीआई सिस्टम के माध्यम से कर जमा करने की सुविधा मिलेगी। उल्लेखनीय है कि निगम आयुक्त रोहित व्यास टैक्स कलेक्शन की बढ़ोतरी के लिए अधिकारियों को लगातार निर्देशित कर रहे हैं। इसी तारतम्य में शीघ्र ही ऑनलाइन की व्यवस्था भी की जा रही है। परंतु तब तक शहर से वाले बाहर रहने वाले लोग हेल्पलाइन नंबर 9153986192 तथा 9153986196 पर संपर्क करके खाता नंबर 50200078894152 पर आसानी से टैक्स जमा कर सकते हैं। श्री पब्लिकेशन एवं स्टेशनर्स के सौरभ पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि यूपीआई की व्यवस्था डोर टू डोर कलेक्शन करने वाले एजेंसी के कर्मचारियों के लिए भी की जाएगी, ताकि फील्ड में पहुंचने पर टैक्स कलेक्शन डिजिटल मोड के आधार पर भी हो सके।